

अध्याय 3
प्रत्यक्ष कर
आय-कर

धारा 2 का संशोधन। 3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (15) में, “चिकित्सा सहायता,” शब्दों के पश्चात्, “पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत जलाशय, वन और 40 वन्यजीव भी हैं) और कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारक या स्थान का संरक्षण” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (22कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(22ककक) “निर्वाचन न्यास” से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा उस रूप में अनुमोदित न्यास अभिप्रेत है;’;

(ग) खंड (23) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2010 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

1932 का 9
2009 का 6

‘(23) (i) “फर्म” का वही अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में है और जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी भी होगी ;

1932 का 9

(ii) “भागीदार” का वही अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में है और जिसके अंतर्गत,—

5

(क) ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे अवयस्क होते हुए भागीदारों के फायदों के लिए सम्मिलित किया गया है ; और

2009 का 6

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार भी होगा;

1932 का 9
2009 का 6

(iii) “भागीदारी” का वही अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में है और जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी भी होगी ;’;

10
1

(घ) खंड (24) के उपखंड (ii) में, “किसी निधि या न्यास या संस्था द्वारा” शब्दों के पश्चात् “निर्वाचन न्यास द्वारा” शब्द, 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) खंड (29ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(29ख) “विनिर्माण” से उसके व्याकरणपरिवर्तनों सहित किसी निर्जीव भौतिक पदार्थ में ऐसा परिवर्तन अभिप्रेत है,—

15

(क) जिसके परिणामस्वरूप उस पदार्थ या वस्तु या चीज का नए और भिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज में रूपांतरण होता है जिसका भिन्न नाम, प्रकृति और उपयोग होता है ; या

(ख) जो किसी भिन्न रसायन सम्मिश्रण या एकीकृत संरचना के साथ एक नया और भिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज अस्तित्व में लाता है !’;

(च) खंड (48) में,—

20

(i) उपखंड (क) और उपखंड (ख) में “पब्लिक सेक्टर कंपनी” शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, क्रमशः “या अनुसूचित बैंक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “अनुसूचित बैंक” पद का वही अर्थ होगा जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) के उपखंड (ग) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में है !’।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

धारा 10 का संशोधन।

25

(क) खंड (10ग) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि जहां ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त की गई या प्राप्य किसी रकम की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 89 के अधीन निर्धारिती को कोई राहत अनुज्ञात की गई है, वहां इस खंड के अधीन ऐसे या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में उसे कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी !”;

30

(ख) खंड (23ग) के चौदहवें परंतुक में, “तो ऐसा आवेदन उस निर्धारण वर्ष के, जिससे छूट चाही गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “तो ऐसा आवेदन उस सुसंगत निर्धारण वर्ष के, जिससे छूट चाही गई है, 30 सितंबर को या उससे पूर्व किया जाएगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

1980 का 40

(ग) खंड (23घ) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, “बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, “और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ‘अन्य पब्लिक सेक्टर बैंकों’ के प्रवर्ग में सम्मिलित बैंक” शब्द 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

35

(घ) खंड (43) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1882 का 2

“(44) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के उपबंधों के अधीन 27 फरवरी, 2008 को स्थापित नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त कोई आय !”।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1) के चौथे परंतुक में, “1 अप्रैल, 2011” अंकों और शब्द के स्थान पर, धारा 10क का संशोधन।
“1 अप्रैल, 2012” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

40

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (7) में, अंत में, “निर्धारिती द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “उपक्रम द्वारा” धारा 10कक का संशोधन।
शब्द 1 अप्रैल, 2010 से रखे जाएंगे ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक में, “1 अप्रैल, 2011” अंकों और शब्द के स्थान धारा 10ख का संशोधन।
पर, “1 अप्रैल, 2012” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 13ख का अंतःस्थापन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 13क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

निर्वाचन न्यासों को प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों से संबंधित विशेष उपबंध।

“13ख. किसी निर्वाचन न्यास द्वारा प्राप्त किन्हीं स्वैच्छिक अभिदायों को ऐसे निर्वाचन न्यास की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि—

(क) ऐसा निर्वाचन न्यास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राजनैतिक दल को उक्त पूर्ववर्ष के दौरान उसे प्राप्त सकल संदानों के पदानवे प्रतिशत को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अधिशेषों, यदि कोई हों, के साथ उक्त पूर्ववर्ष के दौरान संवितरित करता है ;

(ख) ऐसा निर्वाचन न्यास केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है ।”।

5 1951 का 43

धारा 17 का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2010 से रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(vi) नियोजक या पूर्व नियोजक द्वारा निर्धारिती को निःशुल्क या रियायती दर पर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेरों का मूल्य ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विनिर्दिष्ट प्रतिभूति” से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं और जहां कर्मचारी का स्टाक विकल्प उसके लिए प्लान या स्कीम के अधीन दिया गया है वहां उसके अंतर्गत उस प्लान या स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूतियां भी हैं ;

1956 का 42

(ख) “श्रम साध्य साधारण शेरों” से किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को छूट पर या नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य परिवर्धनों की, चाहे जो भी नाम हो प्रकृति की जानकारी प्रदान करने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए साधारण शेर अभिप्रेत हैं ;

(ग) किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेरों का मूल्य उस तारीख को, जिसको निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ऐसी प्रतिभूति या शेरों की बाबत निर्धारिती द्वारा वास्तव में संदत्त या उससे वसूल की गई रकम से घटाकर आया, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेरों का उचित बाजार मूल्य होगा ;

(घ) “उचित बाजार मूल्य” से उस पद्धति के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है जो विहित की जाए ;

(ङ) “विकल्प” से किसी पूर्व अवधारित कीमत पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेरों के लिए आवेदन हेतु कर्मचारी को दिया गया अधिकार अभिप्रेत है, न कि बाध्यता ;

25

(vii) निर्धारिती की बाबत नियोजक द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किसी अभिदाय की रकम, एक लाख रुपए से अधिक की सीमा तक ;

(viii) किसी अन्य अनुषंगी फायदे या सुख-सुविधा का जो विहित की जाए, मूल्य;’।

धारा 28 का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 28 में खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

30

“(vii) कोई राशि, चाहे वह ढहाई गई, नष्ट की गई या त्यक्त या अंतरित की जाने वाली किसी पूंजी आस्ति के कारण (भूमि या साख या वित्तीय लिखत से भिन्न) नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य हो, यदि उस पूंजी आस्ति पर संपूर्ण व्यय को धारा 35कघ के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है;”।

धारा 32 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 में, “आस्तियां” और “आस्ति समूह” पद के स्थान पर, “आस्तियां” पद 1 अप्रैल, 2010 से रखे जाएंगे।

35

धारा 35 का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (1) में, “जो किन्हीं औषधियों, भेषजियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटरों, दूरसंचार उपकरणों, रसायनों अथवा बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई है” शब्दों के स्थान पर, “जो किसी ऐसी वस्तु या चीज के, जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन के किसी कारबार में लगी हुई है” शब्द 1 अप्रैल, 2010 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 35कघ का अंतःस्थापन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

40

विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती।

“35कघ. (1) किसी निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए केवल और अनन्य रूप से उपगत पूंजी प्रकृति के संपूर्ण किसी व्यय की बाबत उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें उसके द्वारा ऐसा व्यय उपगत किया गया है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार को लागू होती है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) इसे पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या पुनः निर्माण करके स्थापित नहीं किया गया है ;

(ii) इसे किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का विनिर्दिष्ट कारबार में अंतरण करके स्थापित नहीं किया गया है ;

5 (iii) जहां कारबार उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, वहां ऐसा कारबार,—

1956 का 1

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ के या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकारी या बोर्ड या निगम के स्वामित्वाधीन है ;

2006 का 19

10 (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है ;

(ग) अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता का एक-तिहाई से अन्यून निर्धारिती या किसी सहयुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहक आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है ; और

(घ) ऐसी किसी अन्य शर्त को पूरा करता है, जो विहित की जाए ।

15 (3) निर्धारिती को “ग—कतिपय आय की बाबत कटौतियां” शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) निर्धारिती की किसी पूर्ववर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस धारा के उपबंध उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार को तभी लागू होंगे, यदि वह,—

20 (क) जहां विनिर्दिष्ट कारबार क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने या उसके प्रचलन की प्रकृति का है, जिसके अंतर्गत पाइप लाइनें और भंडारण सुविधाएं भी हैं जो ऐसे नेटवर्क का आंतरिक भाग है, वहां 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् अपना कार्य आरंभ करता है ; और

(ख) खंड (क) के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों में 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् अपना कार्य आरंभ करता है ।

25 (6) उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति के कारबार को करने वाले निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत वर्ष में उपधारा (1) के अधीन किसी कटौती के अतिरिक्त, किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के दौरान उपगत पूंजी प्रकृति के व्यय की बाबत किसी रकम की और कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि,—

(क) उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट कारबार ने 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय कार्य करना आरंभ किया है ; और

30 (ख) उस रकम के लिए कोई कटौती किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी या अनुज्ञेय नहीं है।

(7) धारा 80क की उपधारा (6) में अंतर्विष्ट उपबंध और धारा 80झक की उपधारा (7) और उपधारा (10) के उपबंध, जहां तक हो सके, विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित माल या सेवाओं या आस्तियों की बाबत इस धारा को लागू होंगे ।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

35 (क) निर्धारिती के संबंध में, “सहयुक्त व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(i) जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से निर्धारिती के प्रबंध या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है ;

(ii) जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती की पूंजी की मतदान शक्ति का छब्बीस प्रतिशत से अन्यून क्षमता वाले शेयर धारित करता है ;

40 (iii) जो निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड के आधे से अधिक सदस्यों या निर्धारिती के शासी बोर्ड के एक या अधिक कार्यकारी निदेशकों या कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति करता है ; या

(iv) जो निर्धारिती के कुल उधारों के दस प्रतिशत से अन्यून के लिए प्रत्याभूति देता है ;

(ख) “शीत श्रृंखला सुविधा” से वैज्ञानिक रूप में नियंत्रित दशाओं के अधीन कृषि और वनोत्पाद, मीट और मीट उत्पादों, कुक्कुट पालन, समुद्री और डेयरी उत्पाद, या उद्यान कृषि, बागवानी, पुष्प कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य मदों के भंडारण या परिवहन की सुविधाओं की श्रृंखला अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत ऐसे उत्पादों के परिरक्षण के लिए आवश्यक प्रशीतन और अन्य सुविधाएं भी हैं ;

(ग) “विनिर्दिष्ट कारबार” से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का है, अर्थात्:—

5

(i) किसी शीत श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन ;

(ii) कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन ;

(iii) क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चा या पेट्रोलियम तेल, वितरण के लिए पाइपलाइन नेटवर्क बिछाना और प्रचालन करना, जिसके अंतर्गत भंडारण सुविधाएं भी हैं, जो ऐसे नेटवर्क का आंतरिक भाग हैं ;

(घ) ऐसी किसी मशीनरी या संयंत्र को, जिसका निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया था, किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि,—

(i) ऐसी मशीनरी या संयंत्र को निर्धारिती द्वारा अधिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी समय भारत में प्रयुक्त नहीं किया गया है ;

(ii) ऐसी मशीनरी या संयंत्र को भारत के बाहर किसी देश से भारत में आयात किया गया है ; और

(iii) निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र के अधिष्ठापन की तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत अवक्षयण मद्दे किसी कटौती को अनुज्ञात नहीं किया गया है या अनुज्ञेय किए जाने योग्य नहीं है ;

(ङ) जहां किसी विनिर्दिष्ट कारबार की दशा में, किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग को विनिर्दिष्ट कारबार में अंतरित किया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या भाग का कुल मूल्य ऐसे कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होता है वहां उपधारा (2) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का पालन किया गया समझा जाएगा ;

(च) पूंजी प्रकृति के किसी व्यय में किसी भूमि के अर्जन या साख या वित्तीय लिखत पर उपगत कोई व्यय सम्मिलित नहीं होगा ।’।

धारा 36 का संशोधन। 14. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (iii) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में “पब्लिक सेक्टर कंपनी” शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “या अनुसूचित बैंक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (viii) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2010 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में,—

(अ) औद्योगिक या कृषि विकास ;

(आ) भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास ;

(इ) भारत में आवास विकास,

के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार ;”;

(ग) खंड (xvi) का लोप किया जाएगा ।

धारा 40 का संशोधन। 15. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (ख) के उपखंड (v) में, मद (1) और मद (2) के स्थान पर, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2010 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) बही लाभ के प्रथम 3,00,000 रुपए पर या किसी हानि की दशा में 1,50,000 रुपए या बही लाभ के 90% की दर से, इनमें से जो भी अधिक हो ;

(ख) बही लाभ के अतिशेष पर 60% की दर से ।”।

धारा 40क का संशोधन। 16. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3क) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अक्टूबर, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर देने या पट्टे पर देने के लिए किए गए संदाय की दशा में उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “बीस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पैंतीस हजार रुपए” शब्द रखे गए हों ।’।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 43 में, 1 अप्रैल, 2010 से,—

धारा 43 का संशोधन।

(क) खंड (1) में, स्पष्टीकरण 12 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 13—ऐसी किसी पूंजी आस्ति के वास्तविक खर्च को, जिसके संबंध में धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है, निम्नलिखित की दशा में “शून्य” माना जाएगा,—

5 (क) निर्धारिती; और

(ख) किसी अन्य दशा में, यदि पूंजी आस्ति,—

(i) दान के रूप में या विल के रूप में या अप्रतिसंहरणीय न्यास के रूप में;

(ii) कंपनी के समापन पर किसी वितरण के संबंध में; और

10 (iii) अंतरण की ऐसी किसी पद्धति द्वारा जो धारा 47 के खंड (i), खंड (iv), खंड (v), खंड (vi), खंड (viख), खंड (xiii) और खंड (xiv) में निर्दिष्ट है,

अर्जित या प्राप्त की गई है;’;

(ख) खंड (6) में, स्पष्टीकरण 6 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

15 ‘स्पष्टीकरण 7—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां निर्धारिती की आय भागतः कृषि से और भागतः “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य कारबार से व्युत्पन्न है, वहां पूर्ववर्ष से पहले अर्जित आस्तियों के अवलिखित मूल्य की संगणना करने के लिए अवक्षयण की कुल रकम की ऐसे संगणना की जाएगी मानो संपूर्ण आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन निर्धारिती के कारबार से व्युत्पन्न है और इस प्रकार संगणित अवक्षयण इस अधिनियम के अधीन वास्तविक रूप से अनुज्ञात किया गया अवक्षयण माना जाएगा ।’

18. आय-कर अधिनियम की धारा 44कक में, 1 अप्रैल, 2011 से उपधारा (2) में,—

धारा 44कक का संशोधन।

(क) खंड (iii) में,—

20 (i) “धारा 44कघ या धारा 44कड या धारा 44कच” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 44कड” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) अंत में आए “निम्नतर है ;” शब्दों के स्थान पर, “निम्नतर है ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

25 “(iv) जहां कारबार से लाभ और अभिलाभ धारा 44कघ के अधीन निर्धारिती के लाभ और अभिलाभ समझे जाते हैं और निर्धारिती ने दावा किया है कि ऐसी आय उन लाभों और अभिलाभों से जो ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, उसके कारबार के लाभ और अभिलाभ समझे गए हैं, निम्नतर हैं, और उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभार्य नहीं है, ”।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

धारा 44कख का संशोधन।

(क) खंड (ग) में,—

30 (i) “धारा 44कघ या धारा 44कड या धारा 44कच” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 44कड” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) अंत में आए “निम्नतर है ;” शब्दों के स्थान पर, “निम्नतर है ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

35 “(घ) कोई कारबार करता है, यदि ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ धारा 44कघ के अधीन ऐसे व्यक्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाते हैं और उसने दावा किया है कि उसकी आय कुल लाभों और अभिलाभों से जो पूर्ववर्ष में, उसके कारबार के लाभ और अभिलाभ समझे गए हैं, निम्नतर है, और उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित नहीं है ;”।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2011 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 44कघ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

40 ‘44कघ. (1) धारा 28 से धारा 43ग में प्रतिकूल किसी बात होते हुए भी, ऐसे पात्र निर्धारिती की दशा में जो किसी पात्र कारबार में लगा हुआ है, ऐसे कारबार मद्दे पूर्ववर्ष में निर्धारिती के, यथास्थिति, कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत तक की राशि या पूर्वोक्त राशि से उच्चतर राशि जिसका पात्र निर्धारिती द्वारा अर्जित किए जाने का दावा किया गया है, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी ।

उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

(2) धारा 30 से धारा 38 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय किसी कटौती के बारे में, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि उसे उन धाराओं में पहले ही पूर्ण प्रभाव दे दिया गया है और उनके अधीन कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी:

परंतु जहां पात्र निर्धारिती कोई फर्म है, वहां उसके भागीदारों को संदत्त वेतन और ब्याज की, धारा 40 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन संगणित आय में से कटौती की जाएगी। 5

(3) किसी पात्र कारबार की किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य संगणित किया गया समझा जाएगा मानो पात्र निर्धारिती ने यह दावा किया हो और सुसंगत निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण की बाबत कटौती वास्तव में अनुज्ञात की गई हो।

(4) अध्याय 17ग के उपबंध, जहां तक वे पात्र कारबार से संबंधित हैं, किसी पात्र निर्धारिती को लागू नहीं होंगे।

(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पात्र निर्धारिती से, जो यह दावा करता है कि पात्र कारबार 10 से उसके लाभ और अभिलाभ उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से निम्नतर हैं और जिसकी कुल आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, यह अपेक्षित होगा कि वह ऐसी लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखे और बनाए रखे जो धारा 44कक की उपधारा (2) में अपेक्षित है और धारा 44कख की अपेक्षानुसार उनकी संपरीक्षा कराए तथा ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट दे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— 15

(क) “पात्र निर्धारिती” से,—

(i) कोई व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या भागीदारी फर्म अभिप्रेत है जो निवासी है किंतु सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है; और 2009 का 6

(ii) जिसने सुसंगत निर्धारण वर्ष में धारा 10क, धारा 10कक, धारा 10ख, धारा 10खक में से किसी के अधीन कटौती 20 या “ग—कतिपय आय के संबंध में कटौतियों” शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन कटौती का दावा नहीं किया है ;

(ख) “पात्र कारबार” से,—

(i) धारा 44कड में निर्दिष्ट माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर या पट्टे पर देने के कारबार के सिवाय कोई कारबार अभिप्रेत है ; और 25

(ii) जिसका कुल आवर्त या पूर्ववर्ष में सकल प्राप्तियां चालीस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है।’

धारा 44कड का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 44कड की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2011 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रत्येक माल वाहन से लाभ और अभिलाभ,—

(i) जो भारी माल यान है, वह रकम होगी जो ऐसे प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए, जिसके दौरान भारी माल 30 यान पूर्ववर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, पांच हजार रुपए के बराबर रकम या वह रकम होगी, जिसके लिए यह दावा किया गया है कि वह ऐसे यान से वस्तुतः अर्जित की गई है, इनमें से जो भी अधिक हो ;

(ii) जो भारी माल यान से भिन्न है, वह रकम होगी जो ऐसे प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए, जिसके दौरान माल वाहन पूर्ववर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, चार हजार पांच सौ रुपए के बराबर रकम या वह रकम होगी जिसके लिए यह दावा किया गया है कि वह ऐसे यान से वस्तुतः अर्जित की गई है, इनमें से जो भी अधिक हो।’ 35

धारा 44कच का संशोधन।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 44कच में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(6) इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी।’

धारा 49 का संशोधन।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2कक) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2010 से रखी जाएगी, 40 अर्थात् :—

“(2कक) जहां पूंजी अभिलाभ धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शैयों के अंतरण से उद्भूत होता है, वहां ऐसी प्रतिभूति या शैयों के अर्जन की लागत वह उचित बाजार मूल्य होगी जिसे उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है।’

24. आय-कर अधिनियम की धारा 50ख के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2010 से धारा 50ख का संशोधन।
रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ख) ऐसी पूंजी आस्तियों की दशा में, जिनकी बाबत संपूर्ण व्यय को धारा 35कघ के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है, शून्य होगा; और

5 (ग) अन्य आस्तियों की दशा में, ऐसी आस्तियों का बही मूल्य होगा।”।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग में, 1 अक्टूबर, 2009 से,—

धारा 50ग का संशोधन।

(क) “या निर्धारित” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “या निर्धारणीय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10 ‘स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “निर्धारणीय” पद से वह कीमत अभिप्रेत है जिसे स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी को अंगीकार करना है यदि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी अंगीकृत या निर्धारित स्टॉप शुल्क के संदाय के लिए उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया हो।’।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

धारा 56 का संशोधन।

(क) 1 अक्टूबर, 2009 से,—

15 (i) खंड (vi) में, “1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किंतु 1 अक्टूबर, 2009 से पूर्व” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(vii) जहां किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किसी पूर्ववर्ष में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से 1 अक्टूबर, 2009 को या उसके पश्चात्,—

20 (क) कोई धनराशि, जिसका कुल मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है, वहां ऐसी राशि का कुल मूल्य ;

(ख) कोई स्थावर संपत्ति,—

(i) जिसका कुल शुल्क मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है, वहां ऐसी संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य ;

25 (ii) ऐसे प्रतिफल के लिए प्राप्त होती है जो संपत्ति के स्टॉप शुल्क मूल्य से उतना कम है, जो पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है ;

(ग) स्थावर संपत्ति से भिन्न कोई संपत्ति,—

(i) बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है, जिसका कुल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का संपूर्ण कुल उचित बाजार मूल्य ;

30 (ii) ऐसे प्रतिफल के लिए प्राप्त होती है, जो उस संपत्ति के कुल उचित बाजार मूल्य से उतना कम है, जो पचास हजार रुपए से अधिक होता है, वहां ऐसी संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है :

परंतु जहां उपखंड (ख) में निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के स्टॉप शुल्क मूल्य पर निर्धारिती द्वारा धारा 50ग की उपधारा (2) में वर्णित आधारों पर विवाद किया गया है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी संपत्ति के मूल्यांकन को मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और धारा 50ग और धारा 155 की उपधारा (15) के उपबंध, जहां तक हो सके, उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए ऐसी संपत्ति के स्टॉप शुल्क मूल्य के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन पूंजी आस्ति के मूल्यांकन के लिए लागू होते हैं :

35 परंतु यह और कि यह खंड किसी ऐसी धनराशि या सम्पत्ति को लागू नहीं होगा, जो,—

(क) किसी नातेदार से ; या

(ख) किसी व्यष्टि के विवाह के अवसर पर ; या

40 (ग) किसी विल के अधीन या विरासत के रूप में ; या

(घ) यथास्थिति, संदाता या दाता की मृत्यु को आसन्न मानकर ; या

(ड) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से ; या

(च) किसी निधि या स्थापन या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या किसी न्यास अथवा धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट किसी संस्था से ; या

(छ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से,

प्राप्त होती है ।

5

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “निर्धारणीय” का वही अर्थ है जो धारा 50ग की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 2 में है ;

(ख) किसी स्थावर संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के “उचित बाजार मूल्य” से उस पद्धति के अनुसार, जो विहित की जाए, अवधारित मूल्य अभिप्रेत है ;

(ग) “आभूषण” का वही अर्थ है जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण में है ;

10

(घ) “संपत्ति” से अभिप्रेत है,—

(i) स्थावर संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं ;

(ii) शेयर और प्रतिभूतियां ;

(iii) आभूषण ;

(iv) पुरातत्वीय संग्रहण ;

15

(v) ड्राईंग ;

(vi) पेंटिंग ;

(vii) मूर्तियां ; या

(viii) कोई कलाकृति ;

(ड) “नातेदार” का वही अर्थ होगा, जो इस धारा की उपधारा (2) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण में है;

20

(च) “स्टॉप शुल्क मूल्य” से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत उत्पाद-शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है ;’

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(viii) धारा 145क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज के रूप में आय ।”

25

धारा 57 का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 57 में, खंड (iii) के पश्चात् अंत में निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viii) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में, ऐसी आय के पचास प्रतिशत के बराबर की किसी राशि की कटौती और इस धारा के किसी अन्य खंड के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी ।”

नई धारा 73क का अन्तःस्थापन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 73 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 30

विनिर्दिष्ट कारबार द्वारा हानियों का अग्रनयन और मुजरा।

“73क. (1) धारा 35कघ में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत संगणित किसी हानि का किसी अन्य विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में लाभों और अभिलाभों, यदि कोई हों, के सिवाय मुजरा नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत संगणित किसी हानि का उपधारा (1) के अधीन पूर्णतया मुजरा नहीं किया गया है वहां उतनी हानि को, जिसका इस प्रकार मुजरा नहीं किया गया है या संपूर्ण हानि को, जहां निर्धारित के किसी अन्य विनिर्दिष्ट कारबार से कोई आय नहीं है, वहां इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में अग्रनीत किया जाएगा, और —

(i) उसका उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय उसके द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों और अभिलाभों का, यदि कोई हों, मुजरा किया जाएगा; और

(ii) यदि हानि का इस प्रकार पूर्णतया मुजरा नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार मुजरा न की गई हानि की रकम को आगामी निर्धारण वर्ष के लिए और उसी प्रकार अग्रनीत किया जाएगा ।”

40

29. आय-कर अधिनियम की धारा 80क में,—

धारा 80क का संशोधन।

(क) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, और 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

5 (4) धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक या इस अध्याय के किसी उपबंध में किसी बात के होते हुए भी “ग—कतिपय आय की बाबत कटौती” शीर्ष के अधीन जहां किसी निर्धारिती की दशा में, किसी उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लाभों और अभिलाभों की किसी रकम का किसी निर्धारण वर्ष के लिए दावा किया जाता है और कटौती के रूप में उसे अनुज्ञात किया जाता है, वहां ऐसे लाभों और अभिलाभों के संबंध में और उस सीमा तक कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी और किसी भी दशा में, यथास्थिति, ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभों से अधिक नहीं होगी ।

(5) जहां निर्धारिती धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक या “ग—कतिपय आय के संबंध में कटौतियां” शीर्ष के अधीन इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी कटौती के लिए आय की अपनी विवरणी में दावा करने में असफल रहता है, वहां उसे उसके अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।’;

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

15 (6) धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक या इस अध्याय के किसी उपबंध में किसी बात के होते हुए भी “ग—कतिपय आय की बाबत कटौती” शीर्ष के अधीन जहां किसी उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल या सेवाएं निर्धारिती द्वारा किए गए किसी अन्य कारबार को अंतरित की जाती हैं या जहां निर्धारिती द्वारा किए गए किसी अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल या सेवाएं उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार को अंतरित की जाती हैं और उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लेखाओं में यथा अभिलिखित ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई हो, अंतरण की तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के तत्समान नहीं होता है वहां इस अध्याय के अधीन किसी कटौती के प्रयोजनों के लिए ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभों की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो किसी भी दशा में अंतरण उस तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर किया गया था ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “बाजार मूल्य” पद से,—

25 (i) विक्रीत या प्रदाय किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल या सेवाओं को तब मिलती यदि उन्हें ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा, संवैधानिक या विनियामक निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, खुले बाजार में विक्रय किया जाता है ;

(ii) अर्जित किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल या सेवाओं की तब लागत होती जब उन्हें ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा, संवैधानिक या विनियामक निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, खुले बाजार में अर्जित किया जाता है ।’।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 80गघ में,—

धारा 80गघ का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के प्रारंभिक भाग में, “जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति है” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या ऐसे किसी निर्धारिती ने, जो व्यक्ति है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

35 (ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने पूर्ववर्ष में कोई रकम प्राप्त नहीं की है, यदि उक्त रकम का उपयोग उसी पूर्ववर्ष में वार्षिकी योजना का क्रय करने में किया जाता है ।”।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ की उपधारा (1) के परंतुक में, “पचहत्तर हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपए” शब्द 1 अप्रैल, 2010 से रखे जाएंगे ।

धारा 80घघ का संशोधन।

40 32. आय-कर अधिनियम की धारा 80ड की उपधारा (3) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2010 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 80ड का संशोधन।

45 (ग) “उच्चतर शिक्षा” से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् लिया गया कोई अध्ययन पाठ्यक्रम अभिप्रेत है ;’।

- धारा 80छ का संशोधन। **33.** आय-कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) में,—
- (क) खंड (v) के अंत में आए शब्द “और” का लोप किया जाएगा;
- (ख) खंड (vi) में “इस निमित्त बनाए गए” शब्दों के स्थान पर, “इस निमित्त बनाए गए; और” शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) खंड (vi) के परंतुक का 1 अक्टूबर, 2009 से लोप किया जाएगा ;
- (घ) खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 5
- “(vii) जहां किसी संस्था या निधि का 1 अप्रैल, 2007 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए खंड (vi) के अधीन अनुमोदन किया गया था, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए और धारा 2 के खंड (15) के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संस्था या निधि,—
- (क) 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए पूर्ण प्रयोजनों के लिए स्थापित ; और 10
- (ख) 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए उक्त खंड (vi) के अधीन अनुमोदित,
- की गई समझी जाएगी ।”।
- धारा 80छछ का संशोधन। **34.** आय-कर अधिनियम की धारा 80छछ में, “किसी राजनैतिक दल” शब्दों के स्थान पर, “या निर्वाचन न्यास” शब्द 1 अप्रैल, 2010 से रखे जाएंगे । 15
- धारा 80छछग का संशोधन। **35.** आय-कर अधिनियम की धारा 80छछग में, “किसी राजनैतिक दल” शब्दों के पश्चात्, “या निर्वाचन न्यास” शब्द 1 अप्रैल, 2010 से रखे जाएंगे ।
- धारा 80झक का संशोधन। **36.** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में,—
- (क) उपधारा (1) में, “या कोई क्रास कन्ट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाता है और उसका प्रचालन प्रारंभ करता है” शब्दों का 1 अप्रैल, 2010 से, लोप किया जाएगा; 20
- (ख) उपधारा (3) में, “या खंड (vi)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का 1 अप्रैल, 2010 से, लोप किया जाएगा;
- (ग) उपधारा (4) में,—
- (अ) खंड (iv) में, “31 मार्च, 2010” अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “31 मार्च, 2011” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (आ) खंड (v) के उपखंड (ख) में, “31 मार्च, 2008” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2011” अंक और शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2008 से रखे गए समझे जाएंगे; 25
- (इ) खंड (vi) का 1 अप्रैल, 2010 से लोप किया जाएगा ;
- (घ) उपधारा (13) के पश्चात्, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2000 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—
- “स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा की कोई बात उपधारा (4) में निर्दिष्ट ऐसे कारबार के संबंध में लागू नहीं होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा (केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार सहित) दिए गए संकर्म संविदा की प्रकृति का है, और जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपक्रम या उद्यम द्वारा निष्पादित किया जाता है ।”। 30
- धारा 80झख का संशोधन। **37.** आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में,—
- (क) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 अप्रैल, 2000 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:— 35
- “(9) किसी उपक्रम के लिए कटौती की रकम आरंभिक निर्धारण वर्ष सहित सात क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए लाभों की शतप्रतिशत रकम होगी, यदि ऐसा उपक्रम, निम्नलिखित में से किसी को पूरा करता है; अर्थात्:—
- (i) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवस्थित है और उसने 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है या आरंभ करता है;
- (ii) भारत के किसी भाग में अवस्थित है और उसने 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया है या आरंभ करता है; 40

(iii) खनिज तेल के परिष्करण में लगा हुआ है और 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् ऐसा परिष्करण आरंभ करता है।

5 **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के अधीन कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार द्वारा संकल्प सं0 ओ-19018/22/95-ओएनजी0 डीओ0 वीएल, तारीख 10 फरवरी, 1999 के द्वारा घोषित नई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नीति के अधीन दी गई “एकल उत्पादन भागीदारी संविदा” जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में दी गई है या किसी अन्य रीति से केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई है के अधीन अनुज्ञप्त सभी समूहों को “एकल उपक्रम” माना जाएगा ;’;

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित उपधारा (9) में,—

(अ) खंड (iii) में, “1 अक्टूबर, 1998” अंकों और शब्द के पश्चात्, “, किंतु 31 मार्च, 2012 के अपश्चात्” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

10 (आ) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(iv) भारत सरकार द्वारा संकल्प सं0 ओ-19018/22/95-ओएनजी0 डीओ0 वीएल, तारीख 10 फरवरी, 1999 के द्वारा घोषित नई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नीति के अधीन पूर्वेक्षण संविदाओं को देने के लिए (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “एनईएलपी-8” कहा गया है) बोली के आठवें दौर में अनुज्ञात समूहों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करता है।’;

15 (ग) उपधारा (10) में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ड) आवास परियोजना में एक से अनधिक निवास इकाई ऐसे किसी व्यक्ति को आबंटित की जाती है जो व्यक्ति नहीं है; और

20 (च) ऐसी दशा में जहां आवास परियोजना में कोई निवास इकाई ऐसे व्यक्ति को आबंटित की जाती है जो व्यक्ति है, ऐसी आवास परियोजना में कोई अन्य निवास इकाई निम्नलिखित किन्हीं व्यक्तियों को आबंटित नहीं की जाती है, अर्थात्:—

(i) ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी या उसके अवयस्क बालक,

(ii) ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसमें ऐसा व्यक्ति कर्ता है,

25 (iii) ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी या अवयस्क बालक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, जिसमें ऐसा व्यक्ति कर्ता है;”;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

30 **“स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी उपक्रम को लागू नहीं होगी जो आवास परियोजना को किसी व्यक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार भी है) दी गई संकर्म संविदा के रूप में निष्पादित करता है।”।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 89 में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 89 का संशोधन।

35 “परंतु ऐसी कोई राहत निर्धारिती द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या धारा 10 के खंड (10ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में स्वैच्छिक पृथक्करण की स्कीम के अनुसार प्राप्त की गई या प्राप्य किसी रकम की बाबत प्रदान नहीं की जाएगी, यदि ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण की बाबत ऐसी किसी छूट का निर्धारिती द्वारा ऐसे या किसी अन्य निर्धारण वर्ष की बाबत धारा 10 के खंड (10ग) के अधीन दावा किया गया है।”।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 90 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अक्टूबर, 2009 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 90 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

‘90. (1) केंद्रीय सरकार भारत से बाहर किसी देश की सरकार या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से,—

विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से करार।

40 (क) (i) ऐसी आय की बाबत, जिस पर इस अधिनियम के अधीन आय-कर और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में आय-कर, दोनों का संदाय किया जाता है ; या

(ii) पारस्परिक आर्थिक संबंधों और व्यापार और विनिधानों के संवर्धन के लिए इस अधिनियम के अधीन और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर की बाबत,

राहत देने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन आय-कर के दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन या, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने के लिए जानकारी के आदान-प्रदान या ऐसे अपवंचन या कर से बचने के मामलों के अन्वेषण के लिए ; या

5

(घ) इस अधिनियम के अधीन और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए,

करार कर सकेगी और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो करार को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) जहां केंद्रीय सरकार ने उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, भारत के बाहर किसी देश की सरकार से या भारत के बाहर 10 विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से, यथास्थिति, कर की बाबत राहत देने के लिए या दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए करार किया है वहां ऐसे निर्धारिती के संबंध में, जिसको ऐसा करार लागू होता है, इस अधिनियम के उपबंध उस परिमाण तक लागू होंगे जिस तक वे उस निर्धारिती के लिए अधिक फायदाप्रद हैं।

(3) इस अधिनियम या उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, और इस अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस 15 निमित्त राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में उसका है।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी विदेशी कंपनी की बाबत उस दर से अधिक दर पर, जिस पर कोई देशी कंपनी प्रभार्य है, कर का प्रभार, ऐसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का कम अनुकूल प्रभाव या उद्ग्रहण नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र” से भारत से बाहर ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो केंद्रीय 20 सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए।’।

धारा 92ग का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग की उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक 1 अक्टूबर, 2009 से रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है वहां असन्निकट कीमत को ऐसी 25 कीमतों का अंकगणितीय साधन माना जाएगा :

परंतु यह और कि यदि इस प्रकार अवधारित आसन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच अंतर जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, बाद वाली कीमत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां वह कीमत जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, आसन्निकट कीमत समझी जाएगी।”।

नई धारा 92गख का अंतःस्थापन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति।

‘92गख. (1) धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन आसन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन किया 30 जाएगा।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियम बना सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सुरक्षित बंदरगाह” से वे परिस्थितियां अभिप्रेत हैं जिनमें आय-कर प्राधिकारी निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण कीमत को स्वीकार करेंगे।’।

धारा 115खखग का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2010 से,—

35

(क) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) अनाम संदान के उस योग के, जो निर्धारिती की कुल आय के पांच प्रतिशत से अधिक है, तीस प्रतिशत की दर से संगणित आय-कर की रकम या एक लाख रुपए की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो; और”

(ख) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) आय-कर की वह रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता, यदि उसकी कुल आय से खंड (i) के अधीन कर के अधीन 40 रहते हुए आय की रकम घटा दी जाती।”।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 115जक की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के पश्चात् स्पष्टीकरण के खंड (च) के पश्चात् “यदि खंड (क) से खंड (च) में निर्दिष्ट रकम लाभ और हानि लेखा में से विकलित की जाती है और उसमें से निम्नलिखित घटा दिए गए हैं,—” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 1998 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
- 5 “(छ) किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था के रूप में अलग रखी गई रकम या रकमें, यदि खंड (क) से खंड (छ) में निर्दिष्ट रकम लाभ और हानि लेखा में से विकलित की जाती है और उसमें से निम्नलिखित घटा दिए गए हैं,—”।
44. आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक की उपधारा (3क) में, “सातवें निर्धारण वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दसवें निर्धारण वर्ष” शब्द 1 अप्रैल, 2010 से रखे जाएंगे।
- 10 45. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में,—
- (क) उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2010 से,—
- (i) “1 अप्रैल, 2007” अंकों और शब्द के स्थान पर “1 अप्रैल, 2010” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “पन्द्रह प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के पश्चात् स्पष्टीकरण 1 के खंड (ज) के पश्चात्, “यदि खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है और उसमें से घटा दी जाती है,—” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—
- 15 “(झ) किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था के रूप में अलग रखी गई रकम या रकमें, यदि खंड (क) से खंड (झ) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है और उसमें से घटा दी जाती है,—”।
- 20 46. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम को,—
- (i) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम, यदि कोई हो, से घटा दिया जाएगा, यदि—
- (क) ऐसा लाभांश उसकी समनुषंगी से प्राप्त होता है ;
- (ख) समनुषंगी कंपनी ने ऐसे लाभांश पर इस धारा के अधीन कर का संदाय किया है ; और
- 25 (ग) देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी नहीं है :
- परंतु लाभांश की वही रकम एक बार से अधिक बार घटाने के लिए गणना में नहीं ली जाएगी ;
- (ii) धारा 10 के खंड (44) में निर्दिष्ट नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदत्त लाभांश की रकम, यदि कोई हो।
- स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी तब समझी जाएगी यदि ऐसी अन्य कंपनी उस कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के अंकित मूल्य का आधे से अधिक धारण करती है।”।
- 30 47. आय-कर अधिनियम की धारा 115बड की उपधारा (1ख) में, “31 मार्च, 2009 के पश्चात्” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “31 मार्च, 2010 के पश्चात्” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
48. आय-कर अधिनियम की धारा 115बठ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- नई धारा 115बड का अंतःस्थापन।
- 35 “115बड. इस अध्याय की कोई बात 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी निर्धारण की बाबत लागू नहीं होगी।”।
- अध्याय 12ज का कतिपय तारीख के पश्चात् लागू न होना।
49. आय-कर अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) में, “और मुख्य आयुक्त या आयुक्त” शब्दों के स्थान पर, “, मुख्य आयुक्त या आयुक्त और धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (क) में निर्दिष्ट विवाद समाधान पैनल” शब्द 1 अक्टूबर, 2009 से रखे जाएंगे।
- धारा 131 का संशोधन।

धारा 132 का संशोधन।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) “यदि निरीक्षण महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त या ऐसे किसी उपनिदेशक या उपायुक्त को, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो” शब्दों के स्थान पर, “जहां निरीक्षण महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त या अपर निदेशक या अपर आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 1994 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार रखे गए “जहां निरीक्षण महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त या अपर निदेशक या अपर आयुक्त” शब्दों के पश्चात् “या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्टूबर, 1998 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iii) खंड (क) में, “, किसी संयुक्त निदेशक,” शब्दों के स्थान पर “किसी अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक,” शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 1994 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(iv) खंड (ख) में, “यथास्थिति, ऐसा महानिदेशक या” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, ऐसा अपर निदेशक या अपर आयुक्त या महानिदेशक या” शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 1994 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(v) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि अपर निदेशक या अपर आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त द्वारा 1 अक्टूबर, 2009 को या उसके पश्चात् कोई प्राधिकार तभी जारी किया जाएगा जब उसे बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए सशक्त किया गया हो;”;

(ख) उपधारा (1क) में,—

(i) “आयुक्त या ऐसे किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त को, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो” शब्दों के स्थान पर, “आयुक्त या अपर निदेशक या अपर आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 1994 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार रखे गए “आयुक्त या अपर निदेशक या अपर आयुक्त” शब्दों के पश्चात् “या संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्टूबर, 1998 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

धारा 132क का संशोधन।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 132क की उपधारा (1) के खंड (ग) के पश्चात्, “मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी” शब्दों के पश्चात्, “अपर निदेशक या अपर आयुक्त” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

धारा 139क का संशोधन।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 139क में, 1 अक्टूबर, 2009 से,—

(क) उपधारा (5ख) के खंड (iv) में “तिमाही” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (5घ) के खंड (iii) में “तिमाही” शब्द का लोप किया जाएगा।

धारा 140 का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 140 में, खंड (गग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गघ) किसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, उसके अभिहित भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा अभिहित भागीदार विवरणी को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने में असमर्थ है या जहां उस प्रकार का अभिहित भागीदार नहीं है वहां उसके किसी भागीदार द्वारा ।”।

धारा 143 का संशोधन।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1ख) में, “31 मार्च, 2009 के पश्चात्” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “31 मार्च, 2010 के पश्चात्” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 144ग का अंतःस्थापन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 144ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विवाद समाधान पैनल को निर्देश ।

‘144ग. (1) इस अधिनियम में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी, प्रथम बार पात्र निर्धारिती को, यदि वह 1 अक्टूबर, 2009 या उसके पश्चात् आय या हानि विवरणी में ऐसे कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का एक प्रारूप (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में प्रारूप आदेश कहा गया है) अग्रेषित करेगा ।

(2) प्रारूप आदेश प्राप्त करने पर पात्र निर्धारिती उसे प्रारूप आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर,—

(क) परिवर्तनों की स्वीकृति निर्धारण अधिकारी को फाइल करेगा ; या

(ख) ऐसे परिवर्तनों के संबंध में अपने आक्षेप, यदि कोई हो,—

(i) विवाद समाधान पैनल ; और

(ii) निर्धारण अधिकारी ,

को फाइल करेगा।

5 (3) निर्धारण अधिकारी प्रारूप आदेश के आधार पर निर्धारण पूर्ण करेगा यदि,—

(क) निर्धारिती परिवर्तनों की स्वीकृति की निर्धारण अधिकारी को सूचना देता है ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं ।

(4) निर्धारण अधिकारी, धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, उस मास के, जिसमें—

(क) स्वीकृति प्राप्त होती है ; या

10 (ख) उपधारा (2) के अधीन आक्षेप फाइल करने की अवधि समाप्त हो जाती है,

अंत से एक मास के भीतर उपधारा (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित करेगा ।

(5) विवाद समाधान पैनल, ऐसे किसी मामले में, जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आक्षेप प्राप्त होते हैं, निर्धारण अधिकारी को निर्धारण पूरा करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उसके मार्गदर्शन हेतु ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे।

(6) विवाद समाधान पैनल निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् उपधारा (5) में निर्दिष्ट निदेश जारी करेगा,—

15 (क) प्रारूप आदेश ;

(ख) निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आक्षेप ;

(ग) निर्धारिती द्वारा दिया गया साक्ष्य ;

(घ) निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी या अंतरण कीमत अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो;

(ङ) प्रारूप आदेश से संबंधित अभिलेख ;

20 (च) उसके द्वारा एकत्रित किए गए या एकत्रित कराए गए साक्ष्य ; और

(छ) उसके द्वारा की गई या कराई गई किसी जांच का परिणाम ।

(7) विवाद समाधान पैनल, उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई निर्देश जारी करने से पूर्व,—

(क) ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ; या

(ख) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोई अतिरिक्त जांच करा सकेगा और उसके परिणाम की रिपोर्ट दे सकेगा ।

25 (8) विवाद समाधान पैनल प्रारूप आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों की पुष्टि कर सकेगा, उन्हें कम या वर्धित कर सकेगा, फिर भी वह किसी प्रस्तावित परिवर्तन को अपास्त नहीं करेगा, अतिरिक्त जांच करने और निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व के लिए उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश जारी नहीं करेगा ।

(9) यदि विवाद समाधान पैनल के सदस्यों में किसी प्रश्न के संबंध में राय पर मतभेद है तो उस प्रश्न का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत की राय पर किया जाएगा ।

30 (10) विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किया गया प्रत्येक निदेश निर्धारण अधिकारी पर आबद्धकर होगा ।

(11) उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश तभी जारी किया जाएगा जब ऐसे निदेशों के संबंध में, निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर दे दिया गया हो जो निर्धारिती के हित या राजस्व के हित के प्रतिकूल हों ।

(12) उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश उस मास के, जिसमें प्रारूप आदेश पात्र निर्धारिती को अग्रेषित किया गया है, अंत से नौ मास के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

35 (13) उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों को प्राप्त करने पर निर्धारण अधिकारी, निदेशों के अनुरूप, उस मास के, जिसमें धारा 153 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निदेश प्राप्त किया गया है, अंत से एक मास के भीतर निर्धारण निर्धारिती को सुने जाने का कोई और अवसर दिए बिना पूरा करेगा।

(14) बोर्ड, पात्र निर्धारिती द्वारा उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए आक्षेपों का शीघ्र निपटारा करने के लिए विवाद समाधान पैनल के दक्ष कार्यकरण के लिए नियम बना सकेगा ।

(15) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “विवाद समाधान पैनल” से इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा गठित तीन आय-कर आयुक्तों से मिलकर बना संघ अभिप्रेत है ;

(ख) “पात्र निर्धारिती” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवर्तन धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन पारित 5 किए गए अंतरण कीमत अधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप हुआ है ;

(ii) कोई विदेशी कंपनी ।’।

धारा 145क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 145क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2010 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में लेखा पद्धति ।

‘145क. धारा 145 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(क) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए माल के 10 क्रय और विक्रय तथा सूची का मूल्यांकन,—

(i) निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखा पद्धति के अनुसार होगा ; और

(ii) इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन की तारीख को निर्धारिती द्वारा माल को उसके अवस्थान स्थल पर और दशा में लाने के लिए वास्तविक रूप में संदत्त या उपगत किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) की रकम सम्मिलित करने के लिए समायोजित किया जाएगा ।

15

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के अंतर्गत, ऐसे संदाय के परिणामस्वरूप उद्भूत किसी अधिकार के होते हुए भी, सभी ऐसे संदाय होंगे;

(ख) यथास्थिति, किसी निर्धारिती द्वारा प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज उस वर्ष की आय समझा जाएगा, जिसमें वह प्राप्त होता है ।’।

20

धारा 147 का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 147 में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 3—इस धारा के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारण अधिकारी, किसी पुरोधरण की बाबत आय का निर्धारण से छूट गई है और जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में बाद में उसकी जानकारी में आया है, इस बात के होते हुए भी, निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा कि ऐसे पुरोधरण के कारणों को धारा 148 की उपधारा (2) 25 के अधीन अभिलिखित कारणों में सम्मिलित नहीं किया गया है ।’।

नई धारा 167ग का अंतःस्थापन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 167ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

समापन में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व।

“167ग. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी से किसी पूर्ववर्ष की किसी आय की बाबत या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसके दौरान ऐसा 30 अन्य व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी था, किसी आय की बाबत देय किसी कर की वसूली नहीं की जा सकती है वहां उस मामले में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार था, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि अवसूली को सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के संबंध में उसकी ओर से कोई सकल उपेक्षा, अपकरण, किसी कर्तव्य का भंग नहीं माना जा सकता है, ऐसे कर के संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दायी होगा ।’।

2009 का 6

35

धारा 194क का संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (x) में, “पब्लिक सेक्टर कंपनी” शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “या अनुसूचित बैंक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 194ग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग के स्थान पर 1 अक्टूबर, 2009 से निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

ठेकेदारों को संदाय।

‘194ग. (1) ठेकेदार और किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच किसी संविदा के अनुसरण में, कोई काम (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) करने के लिए किसी निवासी को, (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ठेकेदार कहा 40 गया है) किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में जमा करने के समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से उसका संदाय करने के समय, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसी राशि के,—

(i) जहां संदाय या प्रत्यय किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किया जा रहा है, एक प्रतिशत ;

(ii) जहां किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय या प्रत्यय किया जा रहा है, वहां दो प्रतिशत,

के बराबर रकम की उसमें समाविष्ट आय पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।

5 (2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बाहियों में, किसी खाते में चाहे उसका नाम “उचंत खाता” या कोई अन्य खाता हो, जमा की जाती है, वहां ऐसे जमा किए जाने को अदाता के खाते में उस आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) जहां किसी राशि को स्पष्टीकरण के खंड (iv) के उपखंड (ड) में वर्णित किसी काम को करने के लिए संदत्त या जमा किया जाता है वहां,—

(i) सामग्री के मूल्य को, यदि ऐसा मूल्य पृथक् रूप से बीजक में वर्णित किया गया है, छोड़कर बीजक मूल्य पर ; या

10 (ii) यदि सामग्री का मूल्य पृथक् रूप से बीजक में वर्णित नहीं किया गया है, तो संपूर्ण बीजक मूल्य पर,

स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी ।

(4) जहां किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से कोई राशि जमा या संदत्त की जाती है वहां ऐसा व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त राशि पर आय-कर की कटौती के लिए दायी नहीं होगा ।

15 (5) ठेकेदार के खाते में जमा या उसको संदत्त या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित किसी राशि की रकम से कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसी राशि बीस हजार रुपए से अधिक न हो :

परंतु जहां वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या संदत्त की गई या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित ऐसी राशियों की कुल रकम पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती करने के लिए दायी होगा ।

20 (6) माल वाहन चलाने, किसी राशि का संदाय या जमा करने वाले व्यक्ति को किराए या पट्टे पर देने के कारबार के अनुक्रम के दौरान, पूर्ववर्ष के दौरान ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित ऐसी राशि से उसके स्थायी लेखा संख्यांक देने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति को किसी राशि का संदाय या जमा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति विहित आय-कर प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, देगा ।

25

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी ; या

30 (ग) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम ; या

(घ) कोई कंपनी ; या

(ड) कोई सहकारी सोसाइटी ; या

(च) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित ऐसा कोई प्राधिकरण, जो निवास स्थान की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के प्रयोजन के लिए या नगरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए या दोनों के लिए, काम में लगा हुआ है ; या

35

(छ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम की तत्स्थानी किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी ; या

(ज) कोई न्यास ; या

(झ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विद्यालय और विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई संस्था ; या

40

(ञ) किसी विदेशी राज्य की कोई सरकार या विदेशी उद्यम या संगम या भारत के बाहर स्थापित कोई निकाय ; या

(ट) कोई फर्म ; या

(ठ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, यदि ऐसा व्यक्ति,—

45

(अ) पूर्ववर्ती किसी उपखंडों के अंतर्गत नहीं आता है ; और

(आ) उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए दायी है ।

(ii) “माल वाहन” का वही अर्थ है जो धारा 44कड की उपधारा (7) के स्पष्टीकरण में है ;

(iii) “संविदा” के अंतर्गत उपसंविदा भी है ;

(iv) “काम” के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) विज्ञापन करना ;

(ख) प्रसारण और दूर प्रसारण, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रसारण या दूर प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण भी है ; 5

(ग) रेल से भिन्न परिवहन के किसी ढंग द्वारा माल या यात्रियों का वहन ;

(घ) खानपान ;

(ङ) किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक से क्रय किए गए माल का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना,

किंतु ऐसे ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय किए गए माल का उपयोग करके ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार 10 उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना इसके अंतर्गत नहीं है ।’।

धारा 194अ का संशोधन।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 194अ में, 1 अक्टूबर, 2009 से, खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए, दो प्रतिशत ; और

(ख) किसी भूमि या भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या भवन से संलग्न भूमि (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन 15 भी है) या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए, दस प्रतिशत ;”।

धारा 197क का संशोधन।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 197क की उपधारा (1घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1ङ) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, धारा 10 के खंड (44) में निर्दिष्ट नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी संदाय से कोई कर की कटौती नहीं की जाएगी ।”। 20

धारा 200 का संशोधन।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) में, “प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी अवधि के लिए जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा” शब्द 1 अक्टूबर, 2009 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 200क का अंतःस्थापन।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 200 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

स्रोत पर कर की कटौती के विवरण की प्रक्रिया।

‘200क. (1) जहां स्रोत पर कर कटौती का कोई विवरण धारा 200 के अधीन किसी धनराशि की कटौती करने वाले किसी 25 व्यक्ति द्वारा दिया गया है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् कटौतीकर्ता कहा गया है), वहां ऐसे विवरण पर निम्नलिखित रीति में कार्रवाई की जाएगी, अर्थात् :—

(क) इस अध्याय के अधीन कटौती योग्य धनराशियों की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरण में कोई अंकगणितीय भूल ; या 30

(ii) विवरण में किसी सूचना से प्रकट कोई गलत दावा ;

(ख) ब्याज की, यदि कोई है, संगणना विवरण में यथासंगणित कटौती योग्य धनराशियों के आधार पर की जाएगी ;

(ग) कटौतीकर्ता द्वारा संदेय राशि या उसको शोध्य प्रतिदाय की रकम की संगणना धारा 200 और धारा 201 के अधीन संदत्त किसी रकम के लिए खंड (ख) के अधीन संगणित रकम और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम के समायोजन के पश्चात् की जाएगी ; 35

(घ) खंड (ग) के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा संदत्त की जाने वाली अवधारित धनराशि या कटौतीकर्ता को शोध्य प्रतिदाय की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक इत्तिला तैयार की जाएगी या बनाई जाएगी और कटौतीकर्ता को भेजी जाएगी ; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में कटौतीकर्ता को शोध्य प्रतिदाय की रकम कटौतीकर्ता को दी जाएगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई इत्तिला उस वित्तीय वर्ष, जिसमें विवरण फाइल किया जाता है, के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी। 40

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “विवरण में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा” से किसी विवरण में किसी प्रविष्टि के आधार पर ऐसा दावा अभिप्रेत है, जो,—

(i) ऐसे विवरण में उसी या किसी अन्य मद की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है ;

(ii) स्रोत पर कर की कटौती की दर के संबंध में है, जहां ऐसी दर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है;

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरणों पर कार्रवाई करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड उक्त उपधारा की अपेक्षा के अनुसार कटौतीकर्ता द्वारा संदेय कर या उसको शोध्य प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने के लिए कर के विवरणों पर केंद्रीयकृत कार्रवाई के लिए स्कीम तैयार कर सकेगा ।”।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 201 में,—

धारा 201 का संशोधन।

5 (क) उपधारा (1क) में, “प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही विवरण” शब्दों के स्थान पर “विवरण” शब्द 1 अक्टूबर, 2009 से रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

10 “(3) उपधारा (1) के अधीन भारत में निवासी किसी व्यक्ति को संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफलता के लिए व्यक्तिगामी निर्धारित माने जाने वाला कोई आदेश निम्नलिखित की समाप्ति के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा:—

(i) उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसे किसी मामले में विवरण फाइल किया जाता है, जिसमें धारा 200 में निर्दिष्ट विवरण फाइल किया गया है, अंत से दो वर्ष ;

(ii) किसी अन्य मामले में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, अंत से चार वर्ष:

15 परंतु 1 अप्रैल, 2007 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा आदेश 31 मार्च, 2011 को या उससे पूर्व किसी समय पारित किया जा सकेगा।

(4) धारा 153 की उपधारा (3) के खंड (ii) और धारा 153 के स्पष्टीकरण के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (3) में विहित समय-सीमा को लागू हो सकेंगे ।”।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 203क की उपधारा (2) के खंड (खक) में, “तिमाही” शब्द का, 1 अक्टूबर, 2009 से लोप धारा 203क का संशोधन।
किया जाएगा ।

20 67. आय-कर अधिनियम की धारा 206क में, 1 अक्टूबर, 2009 से,—

धारा 206क का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में “प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरणियां” शब्दों के स्थान पर “ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसी विवरणियां” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में “तिमाही विवरणियां” शब्दों के स्थान पर “ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसी विवरणियां” शब्द रखे जाएंगे ।

25 68. आय-कर अधिनियम की धारा 206क के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 206कक का अंतःस्थापन।

30 “206कक. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कोई राशि या आय या रकम, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती की जानी है, प्राप्त करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् वह व्यक्ति कहा गया है, जिसकी कटौती की गई है) कर की ऐसी कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् कटौतीकर्ता कहा गया है) अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा, और ऐसा करने में असफल रहने पर कर की कटौती, निम्नलिखित में से उच्चतर दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

(i) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट दर पर ; या

(ii) प्रवृत्त दर या दरों पर ; या

(iii) बीस प्रतिशत की दर पर ।

35 (2) धारा 197क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (1ग) के अधीन कोई घोषणा तभी विधिमाम्य होगी जब उक्त व्यक्ति ऐसी घोषणा में अपना स्थायी लेखा संख्यांक देता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी घोषणा के अविधिमाम्य होने की दशा में, कटौतीकर्ता उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करेगा ।

(4) धारा 197 के अधीन कोई प्रमाणपत्र तभी दिया जाएगा जब उस धारा के अधीन किए गए आवेदन में आवेदक का स्थायी लेखा संख्यांक हो ।

40 (5) वह व्यक्ति, जिसकी कटौती की गई है, कटौतीकर्ता को अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा, और दोनों ही अपने ऐसे सभी पत्राचारों, बिलों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों में उसे उपदर्शित करेंगे, जिसका दोनों के बीच आदान-प्रदान किया जाता है ।

45 (6) जहां कटौतीकर्ता को उपलब्ध कराया गया स्थायी लेखा संख्यांक अविधिमाम्य है या उस व्यक्ति का नहीं है जिसकी कटौती की जानी है, तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने जिसकी कटौती की जानी है, कटौतीकर्ता को अपना स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया है और तदनुसार उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे ।”।

धारा 206ग का संशोधन।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में, “प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण” शब्दों के स्थान पर “ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसी विवरण” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 208 का संशोधन।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 208 में, “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस हजार रुपए” शब्द 1 अक्टूबर, 2009 से रखे जाएंगे।

5

धारा 246क का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (क) में, “या धारा 143 की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “या विवाद समाधान पैनल के निदेशकों के अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय, धारा 143 की उपधारा (3)” शब्द, अंक और कोष्ठक, 1 अक्टूबर, 2009 से रखे जाएंगे।

धारा 253 का संशोधन।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अक्टूबर, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10

“(घ) विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश या ऐसे आदेश की बाबत धारा 154 के अधीन पारित कोई आदेश।”

धारा 271 का संशोधन।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 5क के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 जून, 2007 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 5क—जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी के दौरान निर्धारिती—

(i) किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्तियां कहा गया है) स्वामी होना पाया जाता है और निर्धारिती यह दावा करता है कि ऐसी आस्तियां उसके द्वारा ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय का उपयोग (पूर्णतः या भागतः) करके अर्जित की गई है ; या

(ii) किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि के आधार पर किसी आय का स्वामी होना पाया जाता है और निर्धारिती यह दावा करता है कि लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में ऐसी प्रविष्टि ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए उसकी आय को (पूर्णतः या भागतः) प्रदर्शित करती है,

जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है और,—

(क) जहां ऐसे पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी उक्त तारीख के पूर्व प्रस्तुत कर दी गई है किन्तु उसमें उस आय को घोषित नहीं किया गया है ; या

25

(ख) ऐसे पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है किन्तु निर्धारिती ने विवरणी फाइल नहीं की है,

वहां इस बात के होते हुए भी, कि ऐसी आय को तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् प्रस्तुत की गई आय की किसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित कर दिया गया है, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए ऐसे मामले में निर्धारिती के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की अशुद्ध विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं।”

30

धारा 272क का संशोधन।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (2) के खंड (ठ) में, “तिमाही विवरणी” शब्दों के स्थान पर “ऐसी विवरणियां” शब्द 1 अक्टूबर, 2009 से रखे जाएंगे।

धारा 281ख का संशोधन।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 281ख की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1988 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

35

“परंतु यह भी कि उस अवधि को, जिसके दौरान निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियों को किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोका गया है, पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि से अपवर्जित किया जाएगा।”

धारा 282 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 282 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अक्टूबर, 2009 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

साधारणतया सूचना की तामील।

‘282. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना या समन या अध्यक्ष या आदेश या किसी अन्य संसूचना (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में “संसूचना” कहा गया है) की तामील उसमें नामित व्यक्ति को निम्नलिखित द्वारा उसकी एक प्रति परिदत्त या संप्रेषित करके की जा सकेगी,—

40

(क) डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सर्विस द्वारा, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए ; या

(ख) ऐसी रीति में, जो समनों की तामील के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उपबंधित की गई है ; या

1908 का 5

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अध्याय 4 में यथा उपबंधित किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में ;

45 2000 का 21

(घ) बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार दस्तावेजों के पारेषण के ऐसे किसी अन्य साधन द्वारा ।

(2) बोर्ड, उन पतों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक डाक या इलैक्ट्रॉनिक डाक संदेश के लिए पता भी है) जिस पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना उसमें नामित व्यक्ति को परिदत्त या संप्रेषित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “इलैक्ट्रॉनिक डाक” और “इलैक्ट्रॉनिक डाक संदेश” पदों के वही अर्थ होंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66क के स्पष्टीकरण में हैं ।’।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 282क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अक्टूबर, 2010 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 282ख का अंतःस्थापन।

10 “282ख. (1) प्रत्येक आय-कर प्राधिकारी उसके द्वारा किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को, उसके द्वारा जारी की गई प्रत्येक सूचना, आदेश, पत्र या किसी पत्र व्यवहार के संबंध में, कंप्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित करेगा और उसमें उस संख्यांक को कोट करेगा । दस्तावेज पहचान संख्यांक का आबंटन।

(2) जहां किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सूचना, आदेश, पत्र या किसी अन्य पत्र-व्यवहार में उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज पहचान संख्यांक नहीं है वहां उस सूचना, आदेश, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार को अविधिमाम्य माना जाएगा और कभी जारी न की गई या न किया गया समझा जाएगा ।

15 (3) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी की ओर से प्राप्त किए गए प्रत्येक दस्तावेज, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार को कंप्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित करने और कोट करने के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा ।

(4) जहां किसी आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की ओर से प्राप्त किए गए प्रत्येक दस्तावेज, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार में उपधारा (3) में निर्दिष्ट दस्तावेज पहचान संख्यांक नहीं है वहां ऐसे दस्तावेज, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार को अविधिमाम्य माना जाएगा और कभी जारी न की गई या न किया गया समझा जाएगा ।’।

20 78. आय-कर अधिनियम की धारा 293ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अक्टूबर, 2009 से अंतःस्थापित की जाएगी, नई धारा 293ग का अंतःस्थापन।

“293ग. जहां ऐसा कोई आय-कर प्राधिकारी, जिसे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी निर्धारिती को कोई अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति प्रदत्त की गई वहां ऐसा प्राधिकारी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुमोदन को वापस लेने का प्रावधान उस उपबंध में विनिर्दिष्ट रूप से नहीं किया गया है, ऐसे अनुमोदन को किसी समय वापस ले सकेगा : अनुमोदन वापस लेने की शक्ति।

25 परंतु आय-कर प्राधिकारी, संबंधित निर्धारिती को प्रस्तावित अनुमोदन वापस लिए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी भी समय ऐसा करने के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् अनुमोदन को वापस ले लेगा ।’।

79. आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 में,—

पहली अनुसूची का संशोधन।

(i) “वार्षिक लेखाओं से” शब्दों से आरंभ होने वाले और “अतिशेष माना जाएगा” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर 1 अप्रैल, 2011 से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

30 “बीमा अधिनियम, 1938 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखे में प्रकट किए गए कर और विनियोजनों से पूर्व लाभ माना जाएगा ।’।

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

35 “(ख) (i) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिधानों की वसूली में कमी या हानि को पूरा करने के लिए लेखाओं में या तो अपलिखित या उपबंधित किसी रकम की बाबत कटौती ;

(ii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिधानों के अवक्षयण या उनकी वसूली पर अभिलाभों मद्दे लेखाओं में मुजरा की गई किसी रकम की बाबत वृद्धि ।’।

80. आय-कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 3 के उपनियम (1) के पहले परंतुक में, “31 मार्च, 2009” चौथी अनुसूची का अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 दिसंबर, 2010” अंक और शब्द रखे जाएंगे । संशोधन।

तेरहवीं अनुसूची का संशोधन। 81. आय-कर अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची के भाग ख के अधीन क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2010 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र० सं०	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज	उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी०) 1998 के अधीन उपवर्ग	
(1)	(2)	(3)	(4)	
“19	लुगदी, काष्ठ-लुगदी का विनिर्माण, यांत्रिक या रासायनिक रूप से (जिसमें लुगदी का विघटन भी है),	4701.00		
	अखबारी कागज, रोलों में या शीटों में	4801.00		
	शिक्षा संबंधी पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए लेखन या मुद्रण कागज	4802.10		10
	कागज या पेपर बोर्ड, जिसके विनिर्माण में,	4802.20		
	(क) लुगदी को फुलाने की मुख्य प्रक्रिया हाथ से की जाती है ; और			
	(ख) यदि विद्युत चालित शीट बनाने के उपक्रम का प्रयोग किया जाता है तो बेलन संच वाट 40 इंच से अधिक न हो			15
	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई मांग सूची के संबंध में ब्रेल प्रेस को प्रदाय किया गया मेपलिथो कागज	4802.30		20
	अन्य	4802.90		
	शौच या आनन टिशू स्टैक, तौलिया या नैपकीन स्टैक और घरेलू या स्वच्छता के लिए प्रयुक्त उसी प्रकार का समान कागज, सेलुलोज वैडिंग और सेलुलोज फाइबर के जाल, चाहे क्रेपिक, व्याकुंचित समुद्भूत, छिद्रित, पृष्ठरंजित, पृष्ठसज्जित या मुद्रित हों या नहीं 36 सेंमी. से अधिक की चौड़ाई वाले रोलों में या 36 सेंमी. से अधिक कम से कम एक साइड वाली आयताकार शीटों में (जिसके अंतर्गत वर्ग भी है) फोल्ड न की गई दशा में ।	4803.00		25
	मांग राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई सूची के संबंध में ब्रेल प्रेस को प्रदाय किया गया क्राफ्ट कागज	4804.10		30
	उद्यान कृषि उत्पाद की पैकिंग के लिए डब्लों के विनिर्माण में प्रयुक्त क्राफ्ट कागज और पेपर बोर्ड	4804.20		
	अन्य	4804.90		35
	अन्य विलेपित कागज और पेपर बोर्ड, रोलों में या शीटों में, इस अध्याय के टिप्पण 2 में यथाविनिर्दिष्ट से भिन्न अतिरिक्त कर्मित या प्रसंस्कृत ।	4805.00		
	चिकनाई रोधी कागज	4806.10		
	ग्लैसीन और अन्य चमक कारक पारदर्शी या अल्प पारदर्शी कागज	4806.20		40
	अन्य	4806.90		
	पुआल बोर्ड, जिसके विनिर्माण में सूर्य शुष्कन प्रक्रिया अपनाई गई है ।	4807.91		
	पुआल कागज और अन्य पुआल बोर्ड, चाहे पुआल कागज से भिन्न कागज द्वारा ढका गया हो या नहीं	4807.92		45
	अन्य	4807.99		
	कार्बन या वैसे ही प्रतिलिपन कागज	4809.10		
	स्वतः प्रतिलिपि कागज	4809.20		
	अन्य	4809.90		50
	लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रकार का कागज और पेपरबोर्ड	4810.10		
	लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रकार के क्राफ्ट कागज और पेपरबोर्ड से भिन्न क्राफ्ट कागज और पेपरबोर्ड	4810.20		55

(1)	(2)	(3)	(4)
	अन्य कागज और पेपरबोर्ड	4810.90	
	टारयुक्त, बिटुमनित या एस्फाल्टित कागज और पेपरबोर्ड	4811.10	
5	गोंदित या आसंजक कागज और पेपरबोर्ड प्लास्टिक (आसंजक से भिन्न) विलेपित, संसेचित या आच्छादित कागज और पेपर बोर्ड	4811.20	
10	प्लास्टिक से विलेपित, संसेचित या आच्छादित कागज या पेपर बोर्ड वाले उत्पाद (जिसके अंतर्गत उसके थर्मोसेट रेजिन या मिश्रण या मेलामाइन, फिनोल, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड वाली विरचनाएं भी हैं, संसाधन अभिकरणों या उत्प्रेरकों सहित) एक या अधिक विचारणों में एक साथ संपीडित ; उत्पादों को वाणिज्यिक रूप से सज्जित, पटलों के रूप में जाना जाता है	4811.31	
	अन्य	4811.39	
15	मोम, पैराफिन मोम, वाष्पन, तेल या ग्लाइकोल से विलेपित, संसेचित या आच्छादित कागज और पेपरबोर्ड	4811.40	
	अन्य	4811.90	
	सिगरेट का कागज, चाहे बुकलेट आकार में या रूप में या ट्यूबों में काटा गया हो या नहीं	4813.00	1